नीमकाथाना

प्रार्थना पत्र 14(5)　　　　　　　　मु० न० 63/2021

उनवान

तहसीलदार श्रीमाधोपुर　बनाम　महेन्द्र वगैरा

रेफरेन्स अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ
आवंटन नियम 1970 के नियम 14(5)

उपस्थित :- श्री होशियारसिंह बडसरा　　एडवोकेट
　　　　　　　　　　　　　　　　　अप्रार्थीगण

निर्णय　　　　　　　　　दिनांक 24-7-2023

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(5) संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम अजीतगढ में भूमि ख०न० 2271, 2478 रकबा 0.10 है, 0.73 है, किस्म बजंड जो अप्रार्थीगण के पूर्वज दादा मदन पुत्र हीतर के नाम दिनांक 2-7-1963 को आवंटन होकर गैर खातेदारी दर्ज हुई थी। आवंटी फोत होने के पश्चात उसके परिवार वालो के विरासत के पश्चात गैर खातेदारी दर्ज हुई है। आवंटित भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 5(v)(च) के अन्तर्गत आवंटन योग्य नही होने से आवंटन खारीज योग्य है। अतः उक्त आवंटन खारीज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये वकील उप० होकर जवाब पेश कर जवाब [illegible] विशेष कथन में अंकित किया कि [illegible] अप्रार्थीगण ------

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:11:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

को परेशान करने की गर्ज से प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि के पुराने ख० नं० 1199 राजस्व ग्राम मजीतगढ में स्थित है। उक्त भूमि प्रथम सैटलमेंट के समय राज्य सरकार के नाम दर्ज होकर किस्म बजड़ राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई है। आवंटी मदन पुत्र हीरा जाति मीणा भूमिहीन रहा था। आवंटी द्वारा आवंटन कमेटी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 2-7-1963 को भूमि ख० नं० 1199 मे से चार बीघा 3 बिस्वा किस्म बजड़ आवंटन किया गया। उक्त निर्णय आज भी प्रभावी है। आवंटन नियमन 13 A की पालना मे हुआ है। आवंटन हुई भूमि में काफी रुपये खर्च कर फसल होने लायक बनाया है। आवंटी मदन अशिक्षित होने से इन्द्राज पूर्व में नहीं हो सका। खसरा गिरदावरी में आवंटी का नाम दर्ज है। आवंटी के नाम रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु दिनांक 14.2.2014 को एक आवेदन उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश किया। उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 25-2-14 को निर्णय पारित कर आवंटी के नाम रिकार्ड मे दर्ज करने हेतु आदेश दिया गया। अपीलार्थीगण द्वारा आवंटन हुई भूमि के तारबन्दी कर रखी है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा मौके कि गलत रिपोर्ट पेश कि है। आवंटन कमेटी द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 2-7-63 को ... चुनौती नही दी गई। अतः आपत्ति प्रस्तुत ... आवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील ... विशेष हर्जे पर खारीज फरमायी जावे।

उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत आवंटन आदेश कि फोटोप्रति के अवलोकन से पाया गया कि क्रम सं 13 पर आवंटी मदनलाल पुत्र हीरा का नाम अंकित है। इससे यह तो स्पष्ट है कि दिनांक 2-7-1963 को उक्त भूमि मदनलाल के नाम आवंटन हुई है।....3...

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:11:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली मे शामिल पटवारी हल्का कि रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि आवेदी के वारिसान के नाम नामान्तकरण सं 2195 दिनांक 24-5-2016 को दर्ज कर गैर खातेदारी दर्ज हुई परन्तु पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट क्र० सं 3 में उक्त खसरा नम्बर अब्दुल रहमान प्रकरण है या नही इस सम्बंध मे कोई रिपोर्ट नही कि गई है। एवं अपनी रिपोर्ट मे यह भी अंकित किया है कि अप्रार्थीगण का कब्जा नही है। परन्तु अन्य ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह यह साबित हो सके कि मौके पर कब्जा नही है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में क्र० सं 3,5,6 के सम्बध में कोई उल्लेख या अंकन नही किया है। जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि पटवारी हल्का द्वारा मौके पर रिपोर्ट तैयार नही कि गई है। पत्रावली मे शामिल उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त भूमि के सम्बंध में दिनांक 25-2-2014 को निर्णय पारित कर उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु उप तहसीलदार अजीतगढ को आदेश दिया है जो अप्रार्थीगण के पक्ष मे है। पटवारी हल्का कि रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा जो आवंटन निरस्त [illegible] कि जो अभिशंषा कि गई है जिसमे मे भी कई [illegible] के बारे में कोई उल्लेख नही किया है। जिससे [illegible] स्पष्ट होता है कि पटवारी हल्का द्वारा कई [illegible] टिप्पणी नही करने पर अभिशंषा भी अधूरी [illegible] इससे यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि [illegible] हल्का द्वारा उक्त भूमि के मौके पर जाकर भी कोई जाँच नही कि गई। प्रार्थी द्वारा इस आवंटन आदेश को इससे पूर्व निरस्त करवाने हेतु कोई कार्यवाही नही कि गई है जबकि अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम उक्त आवंटन वर्ष 1963 में हुआ है जिसको लगभग 57-58 वर्ष हो चुके हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड एवं पटवारी हल्का द्वारा

....4....

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:11:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत रिपोर्ट जो पेश कि गई है वो प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से जाँचकर पेश नहीं कि गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से रिकार्ड व मौके कि स्पष्ट जाच किये बिना ही पेश किया गया है। इस आधार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 15(5) स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 15(5) का साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र से सम्बंधित राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन कर एवं मौके कि स्पष्ट जाचँकर पुनः नियमानुसार कार्यवाही करें।

उक्त आदेश आज दिनांक 25-7-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:11:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner